यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, हरिद्वार के 11/2015 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल व श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेंद्र कुमार पांडेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 31.07.2018 से 04.08.2018 तक श्री नीरज च्रंगू, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- **<u>परिचयात्मक-</u>** इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल**,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री टी एस नेगी**,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेंद्र कुमार पांडेय**,** वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा 22.06.2016 से 25.06.2016 तक श्री पुष्कर**,** वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी**,** जिसमे माह 11/2011 से 10/2015 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **11**/2015 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- हरिद्वार

(ii)(अ)विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आधिक्य (+)	बचत(-)
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	36.49	35.55	832.50	776.28	-	-
2016-17	-	-	42.20	38.42	998.95	968.30	-	-
2017-18	-	-	47.67	45.48	1128.81	1020.70	-	-
2018-19 (जून 2018 तक)	-	-	44.50	10.33	1126.11	184.74	-	-

(ब) Autonomous Bodies विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः **निरंक।**

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः- शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। गैरस्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई "सी" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

जिला कमांडेंट
वैतनिक निरीक्षक
वैतनिक प्लाटून कमांडर
बी.ओ.
मुख्य प्रसाशनिक अधिकारी (राजपत्रित)
प्रसाशनिक अधिकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपाल को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, हरिद्वार** की लेखापरीखा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/**20**16 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग दो 'अ'</u>

शून्य

<u>भाग 2 'ब'</u>

<u>प्रस्तर:1</u>- अविवेकपूर्ण बजट प्राक्कलन के कारण धनराशि का समर्पण ₹ 1.09 करोड़।

उत्तराखंड budget manual के ChapterIV के नियम 25 के अनुसार "In the preparation of the budget the aim is to achieve as close an approximation to the actuals as possible", तथा Chapter XVII के नियम 183 के अनुसार "last minute fund surrender should be avoided".

बजट पत्रावलियों की जाँच के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, एवं 2017-18 में विभिन्न मदों में बजट समर्पण की स्थिति निम्नवत थी:

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**लेखा शीर्ष**	**विस्तृत शीर्ष**	**कुल आबंटन**	**कुल व्यय**	**कुल समर्पण**
1	2015-16	2070-00-107-11-00-	011-कुम्भ मेला व्यवस्था	69000	61039	7961
2	2015-16	2070-00-107-04-00	04-भारत सरकार द्वारा आंशिक क्षतिपूर्ति किए जाने वाला	3889300	3779607	109963
3	2015-16	2070-00-107-03-00	03-सामान्य अधिष्ठान	82941190	77343188	5598002
						5715926
4	2016-17	2070-00-107-03-00	03-सामान्य अधिष्ठान	95642000	92700930	2941070
5	2016-17	2070-00-107-06-00	06-विधान सभा निर्वाचन	4101000	3983505	117495
6	2016-17	2070-00-107-04-00	04-भारत सरकार द्वारा आंशिक क्षतिपूर्ति किए जाने वाला	4372040	3989325	382715
						3441280
7	2017-18	2070-00-107-03-00	03-सामान्य अधिष्ठान	10335664	10182771	1529293
8	2017-18	2070-00-107-04-00	04-भारत सरकार द्वारा आंशिक क्षतिपूर्ति किए जाने वाला	5016838	4792401	224437
						1753730

इस प्रकार 2015-16 से 2017-18 तक कुल समर्पण निम्नवत था:

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**कुल समर्पण**
1	2015-16	5715926
2	2016-17	3441280
3	2017-18	1753730
कुल		**10910936**

लेखापरीक्षा द्वारा इकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने पर बताया गया कि बजट आबंटन प्राक्कलन के अनुसार ही प्राप्त होता है। होमगार्ड्स को ड्यूटियों पर उपस्थिति का भुगतान होता है। अनुपस्थित दिवसों का भुगतान नहीं किया जाता है जिस कारण बजट अवशेष रह जाता है, जो समर्पण किया जाता है। भविष्य में अवशेष बजट को समय से पूर्व समर्पित कर दिया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह बजट संबंधी नियमों का उल्लंघन है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:1</u>- कल्याण कोष के दावों का निस्तारण न किया जाना ₹ 15.94 लाख।

कार्यालय के कल्याण कोष से संबन्धित पत्रिका की जाँच से विदित हुआ कि कार्यालय में कल्याण कोष के 17 दावों का निस्तारण नहीं हुआ है, जिसका विवरण निमन्वत है:

क्र.सं.	होमगार्ड का नाम	मुख्यालय/मण्डल कार्यालय को प्रस्ताव भेजने की दिनाँक	प्रस्ताव की धनराशि
1	श्री शेर सिंह	22.2.2018	1,00,000
2	श्री कंवर सिंह	22.2.2018	1,00,000
3	श्री सुखवीर	22.2.2018	1,00,000
4	श्री बलचंद	22.2.2018	1,00,000
5	श्री राकेश कुमार	22.2.2018	1,00,000
6	श्रीमति उषा रानी	27.10.2017	1,00,000
7	श्री राज सिंह	27.10.2017	1,00,000
8	श्री रामपाल सिंह	27.10.2017	1,00,000
9	श्री मुकर्रम	18.9.2017	43,926
10	स्व. सुनील कुमार	18.9.2017	1,00,000
11	श्री राधेश्याम	18.9.2017	50,000
12	श्री विजय पाल	18.9.2017	1,00,000
13	स्व. श्याम सिंह	18.9.2017	1,00,000
14	श्री शमीम अहमद	18.9.2017	98,806
15	श्रीमति उषा रानी	18.9.2017	75,933
16	श्री लाखन सिंह	09.03.2018	1,25,400
17	श्री ब्रह्म चंद	18.9.2017	1,00,000

उपरोक्त सभी प्रस्ताव 09/2017 से 02/2018 के मध्य प्रस्तुत किए गए थे, किन्तु अभी तक अनिस्तारित हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा इकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर बताया गया कि, उक्त के संबंध में कार्यवाही होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय स्तर पर लंबित थी।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा के दावे की पुष्टि करता है तथा विभागीय शिथिलता एवं उदासीनता को दर्शाता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:2</u>- कार्यालय वाहन नियमित चालक से संचालित न किया जाना।

कार्यालय के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि नियमित वाहन चालक दिनाँक 1/12/08 से निलंबित है। तब से वर्तमान तक नियमित चालक वाहन को संचालित नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त कार्यालय द्वारा मुख्यालय से उस आदेश की प्रति, जिसमे होमगार्ड को वाहन संचालन करने की अनुमति प्रदान की गयी हो, भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गयी। साथ ही कार्यालय को पूछा गया कि क्या होमगार्ड नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान है कि किसी होमगार्ड से वाहन संचालन का काम लिया जा सकता है।

उक्त के उत्तर में कार्यालय द्वारा बताया गया कि पत्रावली की तलाश कर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिया जाएगा तथा नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे होमगार्ड द्वारा वाहन संचालन का काम लिया जा सके।

कार्यालय का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा के दावे कि पुष्टि करता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:3-</u> स्वीकृति के सापेक्ष कार्यालय के विभिन्न पदों का रिक्त रहना।

कार्यालय की Manpower Deployment की समीक्षा के दौरान पाया गया कि स्वीकृत नियतन के सापेक्ष कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थिति, एवं तत्संबंधी रिक्तता निम्नवत पायी गयी:

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत नियतन	कार्यरत	रिक्तता
1	जिला कमांडेंट	01	NIL	01
2	वैतनिक प्लाटून कमांडर	04	NIL	04
3	बी.ओ.	05	NIL	05
4	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित)	01	NIL	01
5	प्रशासनिक अधिकारी	01	NIL	01
6	वरिष्ठ सहायक	01	NIL	01
7	हवलदार प्रशिक्षक	02	01	01
8	चतुर्थ श्रेणी	10	03	07

उपरोक्त के संदर्भ में इंगित किए जाने पर ईकाई द्वारा बताया गया कि रिक्त पदों का विवरण प्रत्येक माह मुख्यालय को भेजा जाता है, तथा रिक्तियों के कारण कार्यालय का कार्य प्रभावित हो रहा है।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा के दावे कि पुष्टि करता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

Para:4- Failure to provide timely and proper/complete uniform to 922 home guard volunteers in the district.

As per Para 3.1 and 3.2 of the Compendium, Home Guards is a uniformed force and life span of a full set of uniform is one to four years.

Scrutiny of the records of the district commandant office revealed that all items of uniform, as required to be provided to 922 volunteers, were either not procured fully, as per Para 3.1 and 3.2 of the Compendium, by the Home guard Headquarters or items were not procured and issued timely, as per the schedule envisage, during the period 2015-18. It was also noticed that the items such as Sarees, Shoes leather brown etc. required to be issued to the woman platoon consisting 103 volunteers were also not received and issued at all before or after 2015-18 by the district commandant office. Further new set of uniforms were to be provided to the newly appointed 147 volunteers in the district which had joined the department in the year 2016. However, it was found that the newly recruited volunteers were not provided whole set of uniform. Thus, it may be said that these volunteers may have arranged uniforms at their own cost and also it is violation of the above mentioned provision.

On this being pointed out the department accepted the facts and stated that no Sarees or brown leather shoes were provided to 103 women volunteers however, efforts will be made to provide uniform soon to the volunteers who have yet to receive the uniform. The reply itself proves the audit observation.

Thus, failure to provide timely and proper/complete uniform to 922 home guard volunteers in the district is brought to the notice of the higher authorities.

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-**शून्य**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
40/2015-16	-	प्रस्तर 01 24/05/2016 को निस्तारित	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य**

2- सतत् अनियमितायेः-शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1	श्रीमती प्रतिमा	जिला कमांडेंट	31/7/14	11/12/16
2	श्री गौतम कुमार	जिला कमांडेंट (अतिरिक्त प्रभार)	11/12/16	वर्तमान तक

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1	श्रीमती प्रतिमा	जिला कमांडेंट	31/7/14	11/12/16
2	श्री गौतम कुमार	जिला कमांडेंट (अतिरिक्त प्रभार)	11/12/16	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र